"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016 — वैशाख 9, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-27/2016/वाक/पांच (54). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, दिनांक 1-4-2016 से 31-3-2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से पूर्णत: छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें (3)
1.	लाख	जब निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-10-27/2016/वाक/पांच (54). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-27/2016/वाक/पांच (54), दिनांक 29-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 29th April 2016

NOTIFICATION

No. F-10-27/2016/CT/V (54) .— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempt the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax in whole, subject to the restrictions and conditions specified in column (3), for the period from 1-4-2016 to 31-3-2017, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Restrictions and conditions (3)
1.	Lac	When entered into a local area for consumption or use, as raw material for the process of manufacture

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.